## हॉलमार्किंग विभाग

हमारा संदर्भ: HMD/14:44

06 जून 2024

विषय: भारतीय मानक 15820:2024 में संशोधन (परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना और संचालन- सामान्य अपेक्षाएाँ (पहला पुनरीक्षण))

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि आईएस 15820:2009 को आईएस 15820:2024 के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित भारतीय मानक आईएस 15820:2024 को स्थापना की तारीख 01 मई 2024 के साथ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और आईएस 15820:2009 की तारीख **01 नवंबर 2024** तक लागू रहेगी।

आरओ/बीओ से अनुरोध है कि वे इसे सभी बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स और बीआईएस मान्यता प्राप्त एएचसी के ध्यान में लाएँ।

> (के. चंदन राव) वैज्ञानिक सी (एचएमडी)

प्रमुख (एचएमडी)

सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय हॉलमार्किंग अधिकारी। सभी शाखा कार्यालय एवं हॉलमार्किंग के डीलिंग अधिकारी।

प्रतिलिपि:

डीडीजी हॉलमार्किंग

सभी डीडीजीआर

सभी शाखा कार्यालयों के प्रमुख

## HALLMARKING DEPARTMENT

Our Ref: HMD/14:44 06 June 2024

Subject: Revision to Indian Standard 15820:2024 (Establishment and Operation of Assaying and Hallmarking Centres— General Requirements (First Revision))

This is to inform to all concerned that IS 15820: 2009 has been revised as IS 15820:2024. The revised Indian Standard IS 15820:2024 has been gazette notified with date of establishment as 01 May 2024 and the date till which IS 15820:2009 shall remain in force as **01 November 2024**.

ROs and BOs are requested to bring it to the notice of all the BIS Registered Jewellers and BIS Recognised AHCs.

(K. Chandan Rao) Scientist C (HMD)

## Head (HMD)

**Circulated to:** 

All ROs & Regional Hallmarking Officers All BOs & Dealing Officers for Hallmarking

Copy to:

DDG HM All DDGRs All Heads of BOs